

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ ७७६

दिनांक:- २८/१०/१५

### आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना सैकटर-8, सांगानेर, जयपुर के अधीन रिक्त पड़े आवासीय भूखण्ड को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आवासीय भूखण्ड संख्या	कुल क्षेत्रफल
1.	उच्च आय वर्ग	84/11-A	226.80
2.	उच्च आय वर्ग	84/11-B	226.80
3.	उच्च आय वर्ग	84/11-C	225.90
4.	उच्च आय वर्ग	84/19-A	243.90
योग		<b>04</b>	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आदेक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूखण्ड के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूखण्ड का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें तथा आवासीय भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह पूर्णतया सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा 80-81/एन पर अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महादेय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -प्रथम, रा०आ०म० जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड पंचम, रा०आ०म० जयपुर।
8. ~~अयुक्त एनालिस्ट (निदेशक)~~, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/ ७७७

दिनांक:- २७/१०/१५

### आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना, सेक्टर-16, जोन 162 जयपुर के अधीन आवासीय भूखण्ड को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	खाली भूखण्ड संख्या
1	उच्च आय वर्ग	162/18
2	उच्च आय वर्ग	162/19

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-जयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूखण्ड के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें तथा आवासीय भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह पुर्णतया सुनिश्चित किया जावें।

एवं  
उक्त आदेश आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, रा०आ०म० जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड पंचम, रा०आ०म० जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015/ ७७८

दिनांक:-२७/१०/१५

### आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना, सेक्टर-3, जोन 35 एवं सेक्टर-23, जोन 230, सांगानेर जयपुर के अधीन रिक्त पड़ी भूमि/प्लाटों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.स.	आवासीय भूखण्ड संख्या	श्रेणी	क्षेत्रफल(व.मी.)	विशेष विवरण
1	230/139-A	उच्च आय वर्ग	265.70	भूमि खाली है।
2	230/139-B	उच्च आय वर्ग	287.33	भूमि खाली है।
3	230/139-C	उच्च आय वर्ग	341.10	भूमि खाली है।
4	230/139-D	उच्च आय वर्ग	344.35	भूमि खाली है।
5	230/139-E	उच्च आय वर्ग	407.25	भूमि खाली है।
6	230/139-F	उच्च आय वर्ग	162.70	भूमि खाली है।
7	35/88-A	अल्प आय वर्ग	60.00	भूमि खाली है।
8	35/88-B	अल्प आय वर्ग	105.60	भूमि खाली है।
9	35/114-A	अल्प आय वर्ग	145.20	भूमि खाली है।
10	35/169-A	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	36.80	भूमि खाली है।
11	35/169-B	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	36.80	भूमि खाली है।
12	35/169-C	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	98.90	भूमि खाली है।
13	35/170-A	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	105.80	35 / 170 के आवंटी द्वारा आशिंक कब्जा
14	35/199-A	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	36.80	35 / 199 के आवंटी द्वारा आशिंक कब्जा
15	35/199-B	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	108.56	भूमि खाली है।
16	35/200-A	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	117.76	35 / 200 के आवंटी द्वारा आशिंक कब्जा
17	35/244-A	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	50.14	भूमि खाली है।
18	35/244-B	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	50.14	भूमि खाली है।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवासीय भूमि/प्लाट आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूमि/प्लाट के आलावा स्कीम में कोई अन्य आवासीय भूमि/प्लाट नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूमि/प्लाटों का निस्तारण समुचित प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावें तथा आवासीय भूमि/प्लाटों का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती, अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लें।

कम संख्या 13, 14 एवं 16 पर आवंटियों द्वारा आशिंक कब्जा हटाने के पश्चात् ही नीलामी की जावें एवं नियोजित भूखण्ड “जहा है, जैसा है”, के आधार पर निस्तारण किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त—प्रथम, जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड—बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी,/ नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


  
 डॉ. सम्पदा प्रबंधक

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/782.

दिनांक:- २७/१०/१५

### आदेश

प्रताप नगर आवासीय योजना, सेक्टर-25, प्रताप एनक्लेव सांगानेर, जोन 250 जयपुर के अधीन आवासीय भूखण्ड को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की निर्देशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	आवासीय भूखण्ड संख्या
1	उच्च आय वर्ग	250/83 ए

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-जयपुर नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासीय भूखण्ड के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवासीय भूखण्ड नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें तथा आवासीय भूखण्ड का निस्तारण नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है। यह पुर्णतः सुनिश्चित किया जावें।

उक्त आदेश आवासन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।

२०

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, रा०आ०म० जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड बारह रा०आ०म० जयपुर।
8. संस्कृत एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डिलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक  
